प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 09 नवंबर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष-2024-25 में जिला कारागार, जौनपुर में निर्माणाधीन पाकशाला में निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21027/नम-2/(P-2)2022-23/जौनपुर पाकशाला, दिनांक- 11-07-2024 एवं पत्र संख्या-22863/नम-2/(P-2)2022-23/जौनपुर पाकशाला, दिनांक-30-07-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला कारागार, जौनपुर में पाकशाला के निर्माण हेतु परियोजना लागत रू0 141.41 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 92.57 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-44/2023/001-156-001-22-4-2023-1697843, दिनांक 29.03.2023 द्वारा प्रदान की गयी। अवशेष देय धनराशि रू0 48.84 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 13.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-5/2024/001-1275-22-4-2023- 1697843 दिनांक 17.01.2024 द्वारा प्रदान की गयी। इस प्रकार कुल धनराशि रु० 105.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 जिला कारागार, जौनपुर में पाकशाला के निर्माण हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 141.41 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 35.51 लाख (रूपया पैंतीस लाख इक्यावन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-44/2023/001-156-001-22-4-2023-1697843, दिनांक 29.03.2023 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2025 तक कर लिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 35,51,000 (रुपये पैंतीस लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4059800510400 कारागारों में जलपूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-44 /2024-662-22-4-2024-1697843, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)।
(4) जिलाधिकारी, जौनपुर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।